

आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, मैग्मा जीआईएल

ग्राहक सूचना पत्रक

यह दस्तावेज़ आपकी पॉलिसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पॉलिसी दस्तावेज़ और पॉलिसी अनुसूची को ध्यान से पढ़ें।

क्रमांक	शीर्षक	विवरण (कृपया अगले कॉलम में पॉलिसी खंड संख्या देखें)	पॉलिसी खंड संख्या
1	बीमा उत्पाद/पॉलिसी का नाम	आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, मैग्मा जीआईएल	
2	पॉलिसी नंबर	XXXXXX	
3	बीमा उत्पाद/पॉलिसी का प्रकार	क्षतिपूर्ति (जहाँ बीमित नुकसान पॉलिसी के अंतर्गत बीमित राशि तक कवर किए जाते हैं।)	
4	बीमा राशि (आधार) (राशि सहित)	व्यक्तिगत बीमित राशि – जहाँ प्रत्येक सदस्य के पास पॉलिसी के अंतर्गत एक अलग बीमित राशि होती है) या फ्लोटर बीमित राशि – जहाँ पॉलिसी के अंतर्गत सभी सदस्यों के पास एक ही बीमित राशि सीमा होती है जिसका उपयोग कोई भी या सभी सदस्य कर सकते हैं।	
5	पॉलिसी कवरेज (पॉलिसी क्या कवर करती है?) (पॉलिसी खंड संख्या/संख्याएँ)	इनके संबंध में व्यय: अस्पताल में भर्ती होने का खर्च: न्यूनतम 24 घंटे की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाला व्यय, जिसमें 30 दिनों की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्च और 60 दिनों की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद का खर्च शामिल है। डे केयर प्रक्रियाएँ: डे केयर प्रक्रियाओं के लिए चिकित्सा व्यय, जिनमें 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। आयुष कवरेज: आयुष उपचार के तहत एसआई तक अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाला खर्च। मोटियाबिंद उपचार: एक पॉलिसी वर्ष में प्रति आँख बीमित राशि का 25% या 40,000/- रुपये, जो भी कम हो, तक का खर्च। दंत चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी पर होने वाला खर्च – बीमारी या चोट के कारण आवश्यक। एम्बुलेंस शुल्क: सड़क एम्बुलेंस पर होने वाला खर्च, प्रति अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकतम 2,000 रुपये। आधुनिक उपचार प्रक्रियाएँ: सूचीबद्ध आधुनिक उपचार प्रक्रियाओं के लिए बीमित राशि के 50% तक कवरेज।	डी डी डी डी डी डी डी

मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड (तत्कालीन मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड) | www.magmainsurance.com | ईमेल: customercare@magmainsurance.com | टोल फ्री नं.: 1800 266 3202 | पंजीकृत कार्यालय: इकिनॉक्स बिज़नेस पार्क, टॉवर 3, आंबेडकर नगर, दूसरी मंज़िल, यूनिट नंबर 1बी और 2बी, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070, महाराष्ट्र, भारत | CIN: U66000MH2009PLC460693 | IRDAI Reg. No. 149 | आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, मैग्मा जीआईएल | प्रोडक्ट UIN: MAGHLIP20172V011920 | ऊपर प्रदर्शित किए गए ट्रेड लोगो मैग्मा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड द्वारा इनका इस्तेमाल लाइसेंस के अंतर्गत किया गया है। हमारी वेबसाइट पर MIRA से चैट करें या वॉट्सएप नंबर 7208976789 पर "Hi" कहें। (CIS.DS.ver28.11.25)

क्रमांक	शीर्षक	विवरण (कृपया अगले कॉलम में पॉलिसी खंड संख्या देखें)	पॉलिसी खंड संख्या
6	अपवर्जन (पॉलिसी क्या कवर नहीं करती)	मानक बहिष्करण - जांच और मूल्यांकन (कोड- बहिष्कृत 04) - विश्राम, पुनर्वास और राहत देखभाल (कोड- बहिष्कृत 05) - मोटापा/वजन नियंत्रण (कोड बहिष्कृत 06) - लिंग परिवर्तन उपचार (कोड- बहिष्कृत 07) - कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी (कोड- बहिष्कृत 08) - खतरनाक या साहसिक खेल: (कोड - बहिष्कृत 09) - कानून का उल्लंघन (कोड - बहिष्कृत 10) - बहिष्कृत प्रदाता (कोड - बहिष्कृत 11) - शराब, नशीली दवाओं या मादक द्रव्यों के सेवन या किसी भी नशे की लत की स्थिति और उसके परिणामों के लिए उपचार। - स्वास्थ्य केंद्रों, प्राकृतिक उपचार क्लीनिकों, स्पा या इसी तरह के प्रतिष्ठानों या निजी बिस्तरों में प्राप्त उपचार जो नर्सिंग होम के रूप में पंजीकृत हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं या जहाँ प्रवेश की व्यवस्था पूरी तरह या आंशिक रूप से घरेलू कारणों से की जाती है। (कोड - बहिष्कृत 13) - आहार पूरक और पदार्थ जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता है। जिनमें विटामिन, खनिज शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं और कार्बनिक पदार्थ जब तक कि किसी चिकित्सक द्वारा निर्धारित न किए गए हों अस्पताल में भर्ती होने के दावे या डे केयर प्रक्रिया के हिस्से के रूप में। (कोड - बहिष्कृत 14) - अपवर्तन त्रुटि (कोड - बहिष्कृत 15) - अप्रमाणित उपचार (कोड - बहिष्कृत 16) - सन्तानहीनता और बांझपन (कोड - बहिष्कृत 17) - प्रसूति व्यय (कोड बहिष्कृत 18) विशिष्ट अपवर्जन - युद्ध (चाहे घोषित हो या नहीं) और युद्ध जैसी घटना या आक्रमण, विदेशी शत्रुओं का कृत्य, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांतियाँ, विद्रोह, गदर, सैन्य या हड़पी हुई सत्ता सभी प्रकार की ज़ब्ती, पकड़ना, गिरफ्तारी, रोक और नज़रबंदी। - परमाणु, रासायनिक या जैविक हमला या हथियार, जो किसी अन्य कारण या घटना में योगदान करते हैं, जिसके कारण होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप या जिसके परिणामस्वरूप हानि, दावा या व्यय में समवर्ती या किसी अन्य क्रम में योगदान होता है। इस अपवर्जन के प्रयोजन के लिए: - परमाणु हमला या हथियार का अर्थ है किसी भी परमाणु हथियार या उपकरण का उपयोग या परमाणु ईंधन का अपशिष्ट या दहन या विखंडनीय/संलयन सामग्री का उत्सर्जन, निर्वहन, फैलाव, विमोचन या पलायन जो रेडियोधर्मिता का एक स्तर उत्सर्जित करता है जो किसी भी बीमारी, अशक्तता, विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकता है।	ई

क्रमांक	शीर्षक	विवरण (कृपया अगले कॉलम में पॉलिसी खंड संख्या देखें)	पॉलिसी खंड संख्या
		4. रासायनिक आक्रमण हथियारों का अर्थ है किसी ठोस, तरल या गैसीय रासायनिक यौगिक का उत्सर्जन, फैलाव, विमोचन या रिसाव, जो उचित रूप से वितरित होने पर, किसी भी बीमारी, अक्षमता या मृत्यु का कारण बन सकता है। 5. जैविक आक्रमण हथियारों का अर्थ है किसी भी रोगजनक (रोग पैदा करने वाले) सूक्ष्म जीवों और/या जैविक रूप से उत्पादित विषाक्त पदार्थों (आनुवंशिक रूप से आशोधित जीवों और रासायनिक रूप से संश्लेषित विषाक्त पदार्थों सहित) का उत्सर्जन, रिसाव, फैलाव, विमोचन या निकास जो किसी भी बीमारी, अक्षमता या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। 6. घरेलू अस्पताल में भर्ती/ओपीडी उपचार पर होने वाला कोई भी खर्च। 7. भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर लिया गया उपचार। 8. बीमित व्यक्ति द्वारा बताई गई और पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित (बीमित व्यक्ति की सहमति के आधार पर) मौजूदा बीमारियों के संबंध में, पॉलिसीधारक निर्दिष्ट आईसीडी कोड के लिए कवरेज प्राप्त करने का हकदार नहीं है।	
7	प्रतीक्षा अवधि	पहले से मौजूद बीमारियों को छत्तीस (36) महीने की निरंतर प्रतीक्षा अवधि के बाद कवर किया जाएगा।	ई
		पहले तीस दिनों की प्रतीक्षा अवधि (कोड - ईएक्ससीएल 03): पहली पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी बीमारी के इलाज से संबंधित खर्चों को शामिल नहीं किया जाएगा, सिवाय किसी दुर्घटना के कारण होने वाले दावों के।	ई
		विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि 24 महीने की विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि के बाद निर्दिष्ट सर्जरी/उपचार/बीमारियाँ कवर की जाती हैं। 1. सौम्य ईएनटी विकार 2. टॉन्सिलेक्टोमी 3. एडेनोइडेक्टोमी 4. मास्टोइडेक्टोमी 5. टिम्पेनोप्लास्टी 6. हिस्टेरेक्टोमी 7. सभी आंतरिक और बाहरी सौम्य ट्यूमर, सिस्ट, किसी भी प्रकार के पॉलीप्स, जिनमें सौम्य स्तन गांठें शामिल हैं। 8. सौम्य प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी 9. मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित नेत्र रोग 10. गैस्ट्रिक/डुओडेनल अल्सर 11. गाउट और गठिया 12. सभी प्रकार के हर्निया	ई

क्रमांक	शीर्षक	विवरण (कृपया अगले कॉलम में पॉलिसी खंड संख्या देखें)	पॉलिसी खंड संख्या
		13. हाइड्रोसील 14. गैर-संक्रमित गठिया 15. बवासीर, दरारें और गुदा में फिस्टुला 16. पिलोनिडल साइनस, साइनसाइटिस और संबंधित विकार 17. कशेरुका डिस्क का आगे को बढ़ाव और रीढ़ की हड्डी के रोग, जब तक कि दुर्घटना से उत्पन्न न हों। 18. मूत्र प्रणाली, पित्ताशय और पित्त नली में पथरी, घातक रोगों को छोड़कर। 19. वैरिकाज़ वेन्स और वैरिकाज़ अल्सर निर्दिष्ट सर्जरी/उपचार/रोग 36 महीने की विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि के बाद कवर किए जाते हैं। 1. जोड़ प्रतिस्थापन के लिए उपचार, जब तक कि दुर्घटना से उत्पन्न न हो। 2. आयु-संबंधी ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस।	
8	कवरेज की वित्तीय सीमाएँ	1. उप-सीमा (यह पूर्व-निर्धारित सीमा है, और हम इस सीमा से अधिक कोई राशि नहीं देंगे) कमरे का शुल्क (अस्पताल में भर्ती होने पर) कमरे का किराया: बीमा धनराशि का 2% तक, अधिकतम 5,000 रुपये प्रतिदिन। आईसीयू शुल्क: बीमा धनराशि का 5% तक, अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिदिन। यदि कमरे का किराया निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो दावा आनुपातिक कटौती योग्य होगा।	डी
		2. सह-भुगतान: पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक दावे पर 5% का सह-भुगतान लागू होगा, जो इस पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार स्वीकार्य और देय दावा राशि पर लागू होगा।	एफ.ii
9	दावे/दावा प्रक्रियाएँ	नकद रहित सेवा के लिए: - मानक दावा प्रपत्र (भाग अ और भाग इ) और नकद रहित पूर्व-प्राधिकरण अनुरोध प्रपत्र हमारी वेबसाइट www.magmainsurance.com पर त्वरित संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं। इन्हें अनुरोध करने पर हमारे किसी भी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। - टोल-फ्री नंबर- 1800 266 3202 - अद्यतन नेटवर्क अस्पताल सूची और बहिष्कृत अस्पतालों की सूची हमारी वेबसाइट www.magmainsurance.com और हमारे टीपीए की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है। कृपया ध्यान दें कि टीपीए के नेटवर्क अस्पताल परिवर्तन के अधीन हैं। https://www.magmainsurance.com/web/magmainsurance/downloads से दावा डाउनलोड करें	एफ.ii

क्रमांक	शीर्षक	विवरण (कृपया अगले कॉलम में पॉलिसी खंड संख्या देखें)	पॉलिसी खंड संख्या
		- नेटवर्क प्रदाता को अनुरोध प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राधिकार जारी कर दिया जाएगा। - डिस्चार्ज के समय अंतिम कैशलेस प्राधिकरण, आवश्यक दस्तावेजों के साथ डिस्चार्ज प्राधिकरण अनुरोध प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर होगा।	
		दावे की प्रतिपूर्ति के लिए - दावे की सूचना: नियोजित रूप से अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, कृपया भर्ती होने से कम से कम 72 घंटे पहले हमसे संपर्क करें। आपातकालीन अस्पताल में भर्ती होने पर, कृपया अस्पताल में भर्ती होने से 24 घंटे के भीतर संपर्क करें। - दावा प्रस्तुत करना: बीमित व्यक्ति को सभी संबंधित दावा दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, और दावों का निपटारा या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर (आवश्यक दस्तावेजों के साथ) की जाएगी।	एफ.ii
10	पॉलिसी सर्विसिंग	हमें कॉल करें: 1800 266 3202 पता: व्यावसायिक घंटों के दौरान हमारी कोई भी शाखा या कॉर्पोरेट कार्यालय। शाखा कार्यालयों की सूची www.magmainsurance.com पर देखी जा सकती है।	एफ.i
11	शिकायतें	शिकायत निवारण अधिकारी यदि बीमित व्यक्ति किसी भी तरह से व्यथित है, तो वह हमसे संपर्क कर सकता है: ईमेल: Gro@magmainsurance.com हमें कॉल करें: 1800 266 3202 आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर टोल-फ्री नंबर: 155255 (या) 1800 4254 732	एफ.i
		समय: सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक -- (सोमवार से शनिवार) यदि आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीधे आईआरडीएआई के ऑनलाइन पोर्टल - बीमा भरोसा सिस्टम https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।	
		लोकपाल: यदि आप अभी भी निर्णय/समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप शिकायत करने से निर्धारित 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद बीमा लोकपाल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अद्यतन स्थिति के लिए, कृपया www.irdai.gov.in or https://www.cioins.co.in वेबसाइट देखें।	Annexur e I
12	ध्यान रखने योग्य बातें	फ्री लुक निरसन: यदि आप पॉलिसी नहीं चाहते हैं, तो आप पॉलिसी शुरू होने के 30 दिनों के भीतर इसे निरस्त/रद्द कर सकते हैं। फ्री लुक से संबंधित प्रक्रिया के लिए हमें 1800 266 3202 पर कॉल करें।	एफ.i

क्रमांक	शीर्षक	विवरण (कृपया अगले कॉलम में पॉलिसी खंड संख्या देखें)	पॉलिसी खंड संख्या
		पॉलिसी नवीनीकरण: पॉलिसी आमतौर पर नवीनीकृत की जा सकती है, सिवाय इसके कि बीमित व्यक्ति द्वारा स्थापित धोखाधड़ी, अप्रकटीकरण या गलत बयानी न की गई हो। स्थानांतरण और पोर्टेबिलिटी: जब आपकी पॉलिसी का नवीनीकरण होना हो, तो आप हमारी किसी अन्य पॉलिसी में स्थानांतरित हो सकते हैं या अपनी पॉलिसी को किसी अन्य बीमाकर्ता के पास पोर्ट कर सकते हैं। बीमित राशि में परिवर्तन: बीमित राशि को केवल नवीनीकरण के समय या कंपनी द्वारा अंडरराइटिंग के अधीन किसी भी समय बदला (बढ़ाया/घटाया) जा सकता है। एसआई में वृद्धि के लिए, प्रतीक्षा अवधि, यदि कोई हो, केवल बीमित राशि के बढ़े हुए हिस्से के लिए नए सिरे से शुरू होगी। अधिस्थगन अवधि: पॉलिसी के तहत लगातार 60 महीने पूरे होने के बाद, कोई वापसी नहीं होगी। इस अवधि को अधिस्थगन अवधि कहा जाता है। यह अधिस्थगन पहली पॉलिसी की बीमित राशि पर लागू होगा और बाद में लगातार 60 महीने पूरे होने पर, बीमा राशि में वृद्धि की तिथि से केवल बढ़ी हुई सीमा पर ही लागू होगा। स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद, सिद्ध धोखाधड़ी और पॉलिसी अनुबंध में निर्दिष्ट स्थायी बहिष्करणों को छोड़कर, किसी भी स्वास्थ्य बीमा दावे पर विवाद नहीं किया जा सकेगा।	एफ.। एफ.। एफ.। एफ.। एफ.ii
13	आपके दायित्व	कृपया पॉलिसी खरीदने से पहले सभी पूर्व-मौजूदा बीमारियों या स्थिति का खुलासा करें। गैर-प्रकटीकरण दावे के निपटान को प्रभावित कर सकता है। पॉलिसी अवधि के दौरान अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा। इस पॉलिसी के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य का अर्थ प्रस्ताव प्रपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों में हमारे द्वारा मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी होगी ताकि हम जोखिम की अंडरराइटिंग के संदर्भ में सूचित निर्णय ले सकें। कृपया व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन के कारण जोखिम में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में हमें लिखित रूप में सूचित करें।	एफ.।

पॉलिसी धारक द्वारा घोषणा:

मैंने विवरण पढ़ लिया है और नोट कर लिया है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(पॉलिसी धारक के हस्ताक्षर)

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में, पॉलिसी दस्तावेज में उल्लिखित नियम और शर्तें लागू होंगी।